थिरु जॉन एवं एक अन्य

बनाम

निर्वाचन अधिकारी एवं अन्य

अप्रैल 12, 1977

[वी. आर. कृष्ण अय्यर, आर. एस. सरकारिया एवं जसवंत सिंह, न्यायमूर्तिगण]

भारत का संविधान, अनुच्छेद 84(बी) - अपीलकर्ता जो 1974 के राज्य सभा चुनाव लड़ने के लिए कम आयु का था, वह केवल निर्वाचक नामावली में अपनी आयु को बपतिस्मा पंजिका का उद्धरण प्रस्तुत करके 14-5-1946 से 14-5-1943 तक परिवर्तित करवा लेता है परंतु अन्य दस्तावेजों में नहीं - क्या नामांकन की अनुचित स्वीकृति से चुनाव का परिणाम भौतिक रूप से प्रभावित हुआ है - लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (अधिनियम 43), 1951, धाराएं 83, 97, 100 और 101।

एक निर्वाचन याचिका में अयोग्यताओं का प्रमाण - प्रारंभिक रूप से भार याचिकाकर्ता पर होता है।

साक्ष्य अधिनियम (अधिनियम I), 1872 - धाराएं 17, 18, 19, 20 और 21 - विवाद उत्पन्न होने से पूर्व कई दस्तावेजों में की गई स्वीकृतियां - प्रमाण का भार कर्ता पर स्थानांतरित हो जाता है कि वह यह दर्शाए कि वे त्रुटिपूर्ण हैं।

"बना रहने वाला उम्मीदवार" - एक बना रहने वाला उम्मीदवार होने की अपेक्षाएं - क्या नियम 74 के अंतर्गत एक "टोकरी" या "पार्सल" का आवंटन न होना उसे स्वतः ही बाहर कर देता है - निर्वाचन संचालन नियम, 1961 - नियम 71(1), 74 और 75(3), 79, 80 और 81(2)।

तमिलनाडु राज्य से राज्य सभा के लिए छह रिक्तियों को भरने के लिए 1974 के द्विवार्षिक चुनाव में, आठ प्रतियोगी थे, जिनमें दोनों अपीलकर्ता और एक आर. मोहनरंगम सम्मिलित थे, जो 1974 की निर्वाचन याचिका संख्या 1 में याचिकाकर्ता थे। किसी उम्मीदवार के निर्वाचन को सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित कोटा (22400/6+1) + 1 = 3201 निर्धारित किया गया था और अपीलकर्ता जॉन ने 3700 मत प्राप्त किए। जबकि अपीलकर्ता सुब्रह्मण्यम ने 300 मत प्राप्त किए, मोहनरंगम कोई भी मत प्राप्त करने में असफल रहे। उनमें से शेष ने कोटे से अधिक मत प्राप्त किए, इस प्रकार निर्वाचन संचालन नियमों के नियम 71 (6) के अर्थ के अंतर्गत हस्तांतरण के लिए "अधिशेष मत" छोड़ दिए।

मोहनरंगम और सुब्रह्मण्यम द्वारा दायर निर्वाचन याचिकाओं में, श्री जॉन के निर्वाचन को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि 12 मार्च, 1974 को, जो नामांकनों की संवीक्षा की तिथि थी, उनकी आयु 30 वर्ष से कम थी और इस प्रकार उनके पास संविधान के अनुच्छेद 84 (बी) के अंतर्गत आयु के संबंध में निर्धारित योग्यताएं नहीं थीं और जॉन के नामांकन की अनुचित स्वीकृति ने निर्वाचन को भौतिक रूप से प्रभावित किया है। याचिकाकर्ताओं ने प्रार्थना की कि श्री जॉन के निर्वाचन को शून्य घोषित किया जाए और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 100 के अंतर्गत अपास्त किया जाए। प्रत्येक याचिकाकर्ता ने यह दावा किया कि श्री जॉन का निर्वाचन अपास्त होने की स्थिति में, उसे अधिनियम की धारा 101 के अंतर्गत निर्वाचित घोषित किया जाए। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 83 के साथ पठित धारा 97 के अंतर्गत एक प्रति-आरोप याचिका संख्या 1/74 भी अपीलकर्ता सुब्रह्मण्यम द्वारा दायर की गई थी, जिसमें अधिनियम की धारा 101 के अंतर्गत घोषणा के लिए मोहनरंगम की राहत का विरोध करते हुए यह आरोप लगाया गया था कि चूंकि निर्वाचन याचिका 1/74 में याचिकाकर्ता

मोहनरंगम ने कोई मत प्राप्त नहीं किया था, इसलिए श्री जॉन का निर्वाचन अपास्त होने की स्थिति में, वह जॉन के स्थान पर निर्वाचित घोषित किए जाने का हकदार नहीं था।

उच्च न्यायालय के विचारण न्यायाधीश ने यह निर्णय दिया कि नामांकनों की संवीक्षा की तिथि पर श्री जॉन 30 वर्ष से कम आयु के होने के कारण संविधान के अनुच्छेद 84(बी) के अंतर्गत राज्य सभा के चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं थे और निर्वाचन याचिका को स्वीकार करते हुए जॉन के निर्वाचन को अपास्त कर दिया। तथापि, विचारण न्यायाधीश ने किसी भी निर्वाचन याचिकाकर्ता के पक्ष में धारा 101 के अंतर्गत आगे की घोषणा प्रदान करने से इनकार कर दिया।

अपीलों को खारिज करते हुए, न्यायालय ने,

अभिनिर्धारित किया: (1) अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह स्पष्ट रूप से स्थापित हो गया कि नामांकनों की संवीक्षा की तिथि पर श्री जॉन 30 वर्ष से कम आयु के थे और संविधान के अनुच्छेद 84(बी) को देखते हुए वे राज्य सभा के लिए चुनाव लड़ने के लिए सक्षम नहीं थे। इसलिए, उनका नामांकन निर्वाचन अधिकारी द्वारा अनुचित रूप से स्वीकार किया गया था, और इस अनुचित स्वीकृति ने, जहाँ तक निर्वाचित उम्मीदवार श्री जॉन का संबंध है, चुनाव के परिणाम को भौतिक रूप से प्रभावित किया है। [547 एफ- जी]

(2) यह सिद्ध करने का भार कि नामांकनों की संवीक्षा के लिए निर्धारित तिथि पर एक प्रतियोगी 30 वर्ष से कम आयु का था, निर्वाचन याचिकाकर्ताओं पर था। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ताओं ने ठोस और आश्वस्त करने वाली प्रकृति के अत्यधिक दस्तावेजी साक्ष्य को अभिलेख पर लाकर इस भार का पर्याप्त रूप से निर्वहन किया था। इस दस्तावेजी साक्ष्य में श्री जॉन द्वारा स्वयं अपनी आयु के बारे में मार्च 1964 और जुलाई 1973 के बीच की गई कम से कम एक दर्जन पूर्व स्वीकृतियां और घोषणाएं सम्मिलित हैं, इस आशय की कि उनका जन्म

1946 में हुआ था और उनकी जन्म तिथि 14.5.1946 थी। इन पूर्व स्वीकृतियों के साक्ष्य के अतिरिक्त निर्वाचन याचिकाकर्ताओं ने अन्य दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए थे अर्थात्, विद्यालय का अभिलेख जिस पर कथित रूप से जॉन के अभिभावक के हस्ताक्षर थे, माध्यमिक विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र और शैक्षणिक संस्थानों के विभिन्न अन्य दस्तावेज, विवाह पंजिका, विधिज्ञ परिषद् अभिलेख और चर्च अभिलेख आदि जो इस निष्कर्ष की ओर इंगित करते हैं कि श्री जॉन का जन्म 14.5.1946 को हुआ था न कि 14-5-1943 को। [542 डी-एच, 543 ए-बी-एफ]

(3) यह भली-भांति स्थापित है कि धारा 17 से 20 में यथा परिभाषित एक पक्षकार की स्वीकृति जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 21 की अपेक्षाओं को पूरा करती है, वह *अपने आप* में एक ठोस साक्ष्य है। एक स्वीकृति, यदि स्पष्ट और असंदिग्ध रूप से की गई हो, तो उसे करने वाले पक्षकार के विरुद्ध सर्वोत्तम साक्ष्य होती है और यद्यपि यह निर्णायक नहीं है, फिर भी यह इस सिद्धांत पर कि "जो कुछ एक पक्षकार स्वयं सत्य मानता है उसे उचित रूप से ऐसा माना जा सकता है", प्रमाण का भार कर्ता पर स्थानांतरित कर देती है और जब तक उपधारणा का खंडन नहीं हो जाता, स्वीकृत तथ्य को स्थापित माना जाना चाहिए। वर्तमान मामले में, श्री जॉन द्वारा सत्यनिष्ठा वाले दस्तावेजों में सटीक और जानबूझकर की गई पूर्व घोषणाओं में कई स्पष्ट स्वीकृतियां हैं। ये स्वीकृतियां प्रश्नगत निर्वाचन से पूर्व के दशक के दौरान *विवाद उत्पन्न होने से पूर्व* की गई थीं। ये स्वीकृतियां बहुत अधिक महत्व रखती थीं। उन्होंने यह दर्शाने का भार अपीलकर्ता (श्री जॉन) पर स्थानांतरित कर दिया था कि वे त्रुटिपूर्ण थीं। अपीलकर्ता यह दर्शाने में बुरी तरह विफल रहा था कि ये स्वीकृतियां त्रुटिपूर्ण थीं। [543 सी-ई]

(4) निर्वाचन संचालन नियम, 1961 के नियम 71(1) के अंतर्गत, "बने रहने वाले उम्मीदवार" का अर्थ किसी भी समय ऐसे उम्मीदवार से है जो निर्वाचित नहीं हुआ है और जिसे

मतदान से बाहर नहीं किया गया है। इसलिए, इससे पहले कि किसी उम्मीदवार को बने रहने वाला उम्मीदवार कहा जा सके, दो तत्वों का संतुष्ट होना आवश्यक है। उसे एक 'निर्वाचित न होने वाला उम्मीदवार' होना चाहिए और इसके अतिरिक्त उसे किसी भी समय मतदान से बाहर नहीं किया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में श्री मोहनरंगम इन दोनों शर्तों को पूरा करते हैं। [550 बी, 552 सी]

(5) यह तर्क कि किसी उम्मीदवार के बने रहने के लिए एक आवश्यक पूर्वशर्त नियम 74 के अंतर्गत एक "टोकरी" या "पार्सल" का आवंटन है और केवल वही उम्मीदवार टोकरी के आवंटन का हकदार है जो गिनती के अंत में अपने खाते में कुछ मत प्राप्त करता है और अपना खाता खोलता है, और चूंकि मोहनरंगम को कोई मत प्राप्त नहीं हुआ इसलिए वह स्वतः ही बाहर हो गया, सही नहीं है। नियम 74 या किसी अन्य नियम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो, एक से अधिक सीटों को भरने के लिए होने वाले निर्वाचन में, निर्वाचन अधिकारी से यह अपेक्षा करता हो या उसे यह शक्ति देता हो कि वह किसी उम्मीदवार को मतदान से केवल इस आधार पर बाहर कर दे कि पहली वरीयताओं की गिनती में, उसे कोई वैध मत प्राप्त नहीं हुआ है। [552 ई-एच]

(6) नियम 75 का उप-नियम (3) जो निर्वाचन अधिकारी से यह अपेक्षा करता है कि वह मतदान से उस उम्मीदवार को बाहर कर दे जिसका गणना सबसे कम है - वहां मतों की गिनती को नियंत्रित करता है जहां केवल एक सीट भरी जानी हो और किसी भी गिनती के अंत में, किसी भी उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित नहीं किया जा सकता। नियम 75 का उप-नियम (3) वर्तमान मामले में लागू नहीं होता है। [552 जी]

(7) नियम 80 का कोई अनुप्रयोग नहीं हो सकता क्योंकि यह उस चरण में प्रवृत्त होता है "जब सभी अधिशेष हस्तांतरित कर दिए गए हों"। वर्तमान मामले में वह चरण कभी नहीं आया

क्योंकि पहली गिनती में ही सभी छह सीटें भर गई थीं, छह उम्मीदवारों (श्री जॉन सहित) ने पहली वरीयता वाले मतों का अपेक्षित कोटा प्राप्त कर लिया था। और न ही नियम 81 को लागू करने का चरण आया, क्योंकि पहली गिनती के अंत में, कोई भी रिक्ति खाली नहीं बची। वर्तमान मामले में, श्री मोहनरंगम स्वतः ही बाहर नहीं हुए। वे और श्री सुब्रह्मण्यम दोनों "बने रहने वाले उम्मीदवार" थे। श्री सुब्रह्मण्यम को निर्वाचित घोषित नहीं किया जा सकता था क्योंकि उन्होंने 3201 मतों का अपेक्षित कोटा प्राप्त नहीं किया था। [522 एच; 553 ए]

(8) *विश्वनाथ बनाम कोनप्पा का विनिश्चय-आधार* केवल वहीं लागू होता है जहां, (ए) दो प्रतियोगी उम्मीदवार हों और उनमें से एक अयोग्य हो; (बी) और चुनाव एकल अहस्तांतरणीय मत के आधार पर हो। वर्तमान मामले में, प्रश्नगत चुनाव एकल अहस्तांतरणीय मत की पद्धति से नहीं हुआ था, जिसके अनुसार प्राप्त मतों का साधारण बहुमत उम्मीदवार की सफलता सुनिश्चित करता है, बल्कि एकल हस्तांतरणीय मत के साथ आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा हुआ था जिस प्रणाली के अंतर्गत उम्मीदवार की सफलता सामान्यतः उसके अपेक्षित कोटा प्राप्त करने पर निर्भर करती है। अयोग्य उम्मीदवार, श्री जॉन के बाहर होने के बाद, श्री सुब्रह्मण्यम मैदान में बचे एकमात्र बने रहने वाले उम्मीदवार नहीं थे। [554 जी- एच, 555 ए]

विश्वनाथ बनाम कोनप्पा एआईआर 1969 एस. सी. 604, भेद स्पष्ट किया गया।

(9) न्यायालय द्वारा चुनाव के लिए वैधानिक रूप से अयोग्य पाए गए श्री जॉन के पक्ष में डाले गए सभी मतों को व्यर्थ नहीं माना जा सकता है और परिणामस्वरूप, अपीलकर्ता श्री सुब्रह्मण्यम को जिन्होंने श्री मोहनरंगम द्वारा प्राप्त शून्य मतों के विरुद्ध 300 मत प्राप्त किए, निर्वाचित घोषित नहीं किया जा सकता है। श्री सुब्रह्मण्यम न तो एकमात्र बने रहने वाले उम्मीदवार थे और न ही उन्होंने मतों का अपेक्षित कोटा प्राप्त किया था। यह किसी का भी मामला नहीं है कि श्री जॉन को मत देने वाले निर्वाचकों को निर्वाचन के समय इस उम्मीदवार

की वैधानिक अयोग्यता का ज्ञान था या उन्हें इसकी सूचना थी। इसके विपरीत, वे इस धारणा के अंतर्गत रहे होंगे कि श्री जॉन एक ऐसे उम्मीदवार थे जिनका नामांकन निर्वाचन अधिकारी द्वारा वैध रूप से स्वीकार किया गया था। यदि निर्वाचकों को श्री जॉन की अयोग्यता की सूचना होती, तो उनमें से कितने उनके लिए मत देते और कितने सर्वश्री सुब्रह्मण्यम और मोहनरंगम सहित अन्य बने रहने वाले उम्मीदवारों के लिए मत देते और किस वरीयता क्रम में, यह अनुमान और अप्रत्याशितता के क्षेत्र का एक प्रश्न बना रहता है। [553 बी-ई]

आर. एम. शेषाद्रि बनाम जी. वी. पई एआईआर 1969 एससी 692 @ पृष्ठ 701, अनुसरण किया गया।

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार: 1974 की दीवानी अपील संख्याएं 1895-1896 एवं 1907।

(1974 की निर्वाचन याचिकाओं संख्या 1 और 2 में मद्रास उच्च न्यायालय के दिनांक 14-10-1974 के निर्णय और डिक्री से उद्धृत)।

सीएएस 1896/74 में अपीलकर्ता के लिए *आर. एन. चौधरी और श्रीमती वी. डी. खन्ना*।

सीए 1907/74 में अपीलकर्ता के लिए *वाई. एस. चितले, श्री टी. एन. एस. श्रीनिवासवरदाचार्य और जी. रामास्वामी, सी. लक्ष्मीनारायण, एस. आर. एल. नारायण और विनीत कुमार*।

सीए 1895 में उत्तरदाता संख्या 10, सीए 1896 में उत्तरदाता संख्या 6 और सीए 1907 में उत्तरदाता संख्या 7 के लिए *टी. एन. सी. श्रीनिवासवरदाचार्य, एस. सी. लक्ष्मीनारायण, एस. आर. एल. नारायण, एम. एस. नरसिम्हन*।

सभी अपीलों में उत्तरदाता संख्या 1 के लिए और 1907 में उत्तरदाता संख्या 2 के लिए *ए. वी. रंगम और सुश्री ए. सुभाषिनी*।

सीए 1895-1896 में उत्तरदाता संख्या 8 के लिए जे. एम. खन्ना।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था,

सरकारिया, न्यायमूर्ति। इन अपीलों को जन्म देने वाले आधारभूत तथ्य समान होने के कारण, इनका निष्पादन एक ही निर्णय के अंतर्गत किया जाएगा।

11-3-1974 को दोपहर 3 बजे से पहले नामांकन दाखिल करने का आह्वान करने वाली सूचना 4 मार्च, 1974 को द्विवार्षिक चुनावों में तमिलनाडु राज्य से राज्य सभा की छह रिक्तियों को भरने के लिए जारी की गई थी। ग्यारह उम्मीदवारों ने अपने नामांकन दाखिल किए। 12 मार्च, 1974 को आयोजित की गई संवीक्षा पर, वे सभी नामांकन वैध पाए गए। 14-3-1974 को, जो नाम वापस लेने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि थी, तीन उम्मीदवारों ने अपने नामांकन वापस ले लिए जिससे मैदान में आठ उम्मीदवार रह गए। मतदान 21-3-1974 को हुआ था। उसी तिथि पर मतों की गिनती हुई। परिणाम प्रकाशित किया गया था, जिसके अनुसार, प्रतियोगी उम्मीदवारों ने अपने नामों के सामने अंकित मत निम्नानुसार प्राप्त किए:

1. श्री खादर शा	..	3500
2. श्री ख्वाजा मोहिदीन	..	3700
3. श्री वी. सुब्रह्मण्यम	..	300
4. श्री सी. डी. नटराजन	..	3500
5. श्री आर. मोहनरंगम	..	शून्य
6. श्री एस. रंगनाथन	..	4100
7. जी. लक्ष्मणन	..	3600
8. डी. सी. जॉन उर्फ़ वलमपुरी जॉन	..	3700

किसी उम्मीदवार के निर्वाचन को सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित कोटा (22,400/6+1) + 1 = 3201 निर्धारित किया गया था और क्रम संख्या 1, 2, 4, 6, 7 और 8 पर उल्लिखित उम्मीदवारों को निर्वाचित घोषित किया गया था।

असफल उम्मीदवारों द्वारा दो निर्वाचन याचिकाएं दायर की गई थीं। 1974 की निर्वाचन याचिका 1 श्री आर. मोहनरंगम द्वारा और 1974 की निर्वाचन याचिका 2 श्री वी. सुब्रह्मण्यम द्वारा दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने प्रार्थना की कि श्री डी. सी. जॉन के निर्वाचन को शून्य घोषित किया जाए और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 100 के अंतर्गत अपास्त किया जाए। प्रत्येक याचिकाकर्ता ने यह दावा किया कि श्री जॉन का निर्वाचन अपास्त होने की स्थिति में, उसे अधिनियम की धारा 101 के अंतर्गत निर्वाचित घोषित किया जाए। निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी और मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अतिरिक्त, सभी सात प्रतियोगियों को उत्तरदाताओं के रूप में पक्षकार बनाया गया था।

श्री जॉन के निर्वाचन को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि 9 मार्च, 1974 को, जो उनके नामांकन की संवीक्षा की तिथि थी, उनकी आयु 30 वर्ष से कम थी और इस प्रकार, उनके पास संविधान के अनुच्छेद 84(बी) में निर्धारित आयु संबंधी योग्यता नहीं थी। इस आधार पर यह दलील दी गई थी कि श्री जॉन का नामांकन अनुचित रूप से स्वीकार किया गया था और इसके परिणामस्वरूप, निर्वाचन का परिणाम भौतिक रूप से प्रभावित हुआ है।

अधिनियम की धारा 83 के साथ पठित धारा 97 के अंतर्गत एक प्रति-आरोप याचिका संख्या 1/74 भी ई.पी. 2/74 के याचिकाकर्ता श्री वी. सुब्रह्मण्यम द्वारा दायर की गई थी, जिसमें धारा 101 के अंतर्गत घोषणा के लिए मोहनरंगम की राहत का विरोध किया गया था। प्रत्यारोपकर्ता ने आरोप लगाया कि चूंकि ई.पी. 1/74 में याचिकाकर्ता ने कोई मत प्राप्त नहीं

किया था, इसलिए वह श्री जॉन का निर्वाचन अपास्त होने की स्थिति में, श्री जॉन के स्थान पर निर्वाचित घोषित किए जाने का हकदार था।

उच्च न्यायालय के विद्वान विचारण न्यायाधीश ने तीनों याचिकाओं का एक साथ विचारण किया और एक समान निर्णय द्वारा उनका विनिश्चय किया।

विचारण न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अपने नामांकन की संवीक्षा की तिथि पर, श्री जॉन 30 वर्ष से कम आयु के होने के कारण, संविधान के अनुच्छेद 84(बी) के अंतर्गत राज्य सभा का चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं थे। इस संक्षिप्त आधार पर उनके निर्वाचन को अपास्त कर दिया गया और निर्वाचन याचिकाओं को तदनुसार स्वीकार कर लिया गया। तथापि, विचारण न्यायालय ने किसी भी निर्वाचन-याचिकाकर्ता के पक्ष में धारा 101 के अंतर्गत आगे की घोषणा प्रदान करने से इनकार कर दिया।

उस निर्णय से व्यथित होकर, श्री जॉन ने इस न्यायालय में 1974 की दीवानी अपीलें 1895-1896 और श्री वी. सुब्रह्मण्यम ने 1974 की दीवानी अपील 1907 दायर की है।

इन अपीलों में निर्धारित किया जाने वाला पहला प्रश्न यह है: क्या श्री जॉन का जन्म 14 मई, 1946 को हुआ था, जैसा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पाया गया है, या 14 मई, 1943 को, जैसा कि उनके द्वारा तर्क दिया गया है?

अपीलकर्ता (श्री जॉन) की ओर से उपस्थित श्री चौधरी का तर्क है कि यह सिद्ध करने का भार कि सामग्री तिथि पर श्री जॉन की आयु 30 वर्ष से कम थी, निर्वाचन-याचिकाकर्ता पर था और वह इस भार का निर्वहन करने में विफल रहा था। श्री चौधरी की आगे की शिकायत यह है कि उच्च न्यायालय ने श्री जॉन द्वारा प्रस्तुत मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य को गलत तरीके से खारिज कर दिया था।

हम इन तर्कों को पूरी तरह से आधारहीन पाते हैं।

यद्यपि यह सत्य है कि यह सिद्ध करने का भार कि नामांकनों की संवीक्षा के लिए निर्धारित तिथि पर श्री जॉन 30 वर्ष से कम आयु के थे, निर्वाचन-याचिकाकर्ताओं पर था, उन्होंने ठोस और आश्वस्त करने वाली प्रकृति के अत्यधिक दस्तावेजी साक्ष्य को अभिलेख पर लाकर इस भार का पर्याप्त रूप से निर्वहन किया था। इस दस्तावेजी साक्ष्य में श्री जॉन द्वारा स्वयं अपनी आयु के बारे में मार्च 1964 और जुलाई 1973 के बीच की गई कम से कम एक दर्जन पूर्व स्वीकृतियां और घोषणाएं सम्मिलित हैं। श्री जॉन की स्वीकृतियों का गठन करने वाली ऐसी घोषणाओं वाले ये दस्तावेज निम्नलिखित हैं:

(i) प्रदर्श पी.7- विश्वविद्यालय-पूर्व परीक्षा के लिए आवेदन।

(ii) प्रदर्श पी- 9- बी.ए. परीक्षा के लिए आवेदन।

(iii) प्रदर्श पी-14- विश्वविद्यालय परीक्षा में उपस्थित होने के लिए आवेदन।

(iv) प्रदर्श पी-15- प्रथम बी.जी.एल. परीक्षा के लिए आवेदन।

(v) प्रदर्श पी-17 — बी.जी.एल. परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन।

(vi) प्रदर्श पी-18- द्वितीय बी.जी.एल. परीक्षा अप्रैल 1972 के लिए आवेदन।

(vii) प्रदर्श पी-19- द्वितीय बी.जी.एल. परीक्षा, अक्टूबर 1972 के लिए आवेदन।

(viii) प्रदर्श पी-21- विधि महाविद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन।

(iv) प्रदर्श पी-22- बी.एल. डिग्री परीक्षा के लिए आवेदन।

(x) प्रदर्श पी-23 (ए), (बी) और (सी) - विधिज्ञ परिषद् में प्रस्तुत अधिवक्ता के रूप में नामांकन के लिए दिनांक 23-7-1973 के आवेदन।

(xi) प्रदर्श पी-27 — मतदाता पहचान पत्र जिसमें श्री जॉन द्वारा हस्ताक्षरित उनकी आयु 28 वर्ष होने की घोषणा है।

(xii) प्रदर्श पी-87- श्री जॉन द्वारा लिखित एक पुस्तक, जिसके पृष्ठ 18 पर एक कंडिका है जो यह निष्कर्ष सुझाता है कि श्री जॉन का जन्म 1946 में हुआ था।

उपरोक्त इन सभी दस्तावेजों में श्री जॉन द्वारा की गई स्वीकृतियां सम्मिलित हैं कि उनका जन्म 1946 में हुआ था। इनमें से कई दस्तावेजों में उन्होंने अपनी जन्म तिथि 14-5-1946 घोषित की।

यह सुस्थापित है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 21 की अपेक्षाओं को पूरा करने वाली, धारा 17 से 20 में यथा परिभाषित एक पक्षकार की स्वीकृति, अपने आप में एक ठोस साक्ष्य है। एक स्वीकृति, यदि स्पष्ट और असंदिग्ध रूप से की गई हो, तो उसे करने वाले पक्षकार के विरुद्ध सर्वोत्तम साक्ष्य होती है और यद्यपि यह निर्णायक नहीं है, फिर भी यह इस सिद्धांत पर कि "जो कुछ एक पक्षकार स्वयं सत्य मानता है उसे उचित रूप से ऐसा माना जा सकता है", प्रमाण का भार कर्ता पर स्थानांतरित कर देती है और जब तक उपधारणा का खंडन नहीं हो जाता, स्वीकृत तथ्य को स्थापित माना जाना चाहिए।

उपरोक्त सिद्धांत वर्तमान मामले में अधिक बल के साथ लागू होगा। यहाँ, श्री जॉन द्वारा सत्यनिष्ठा वाले दस्तावेजों में सटीक और जानबूझकर की गई पूर्व घोषणाओं में कई स्पष्ट स्वीकृतियां हैं। ये स्वीकृतियां प्रश्नगत निर्वाचन से पूर्व के दशक के दौरान *विवाद उत्पन्न होने से पूर्व* की गई थीं। ये स्वीकृतियां बहुत अधिक महत्व रखती थीं। उन्होंने यह दर्शाने का भार अपीलकर्ता (श्री जॉन) पर स्थानांतरित कर दिया था कि वे त्रुटिपूर्ण थीं। अपीलकर्ता यह दर्शाने में बुरी तरह विफल रहा था कि ये स्वीकृतियां त्रुटिपूर्ण थीं।

इन पूर्व स्वीकृतियों के साक्ष्य के अतिरिक्त निर्वाचन-याचिकाकर्ताओं ने अन्य दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत किए थे, जो इस निष्कर्ष की ओर इंगित करते हैं कि श्री जॉन का जन्म 14-5-1946 को हुआ था न कि 14-5-1943 को।

इस साक्ष्य में निम्नलिखित सम्मिलित थे--

1. (ए) प्रदर्श पी-1 सेंट जेवियर्स कॉलेज स्कूल के अभिलेखों में एक प्रविष्टि, जिसमें श्री जॉन की जन्म तिथि 14-5-1946 के रूप में दर्ज है;

   (बी) प्रदर्श पी.3 जिस पर कथित रूप से श्री जॉन के अभिभावक के हस्ताक्षर हैं, जिसमें उनकी आयु 14-5-1946 घोषित की गई है;

   (सी) प्रदर्श पी-2, सरकारी परीक्षाओं के आयोग के सचिव रामा प्रभु द्वारा हस्ताक्षरित ई.एस.एल.सी.। यह प्रमाण पत्र विधि के प्राधिकार के अंतर्गत जारी किया गया था।

2. प्रदर्श पी-4 --माध्यमिक विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र जिसमें श्री जॉन की जन्म तिथि 14-5-1946 दर्ज है।

3. प्रदर्श पी-50, 19-2-1964 के फोर्ट सेंट जॉर्ज गजट की प्रति जो श्री जॉन की जन्म तिथि 14-5-1946 दर्शाती है।

4. (ए) प्रदर्श पी- 5 सेंट जेवियर्स हाई स्कूल द्वारा जारी स्थानांतरण प्रमाण पत्र।

   (बी) प्रदर्श पी-10 महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा जारी स्थानांतरण प्रमाण पत्र।

(सी) प्रदर्श पी-13 प्रथम वर्ष बी.जी.एल. में प्रवेश के लिए महाविद्यालय के प्रवेश पंजिका में प्रविष्टि।

(डी) प्रदर्श पी-16- द्वितीय वर्ष बी.जी.एल. कक्षा में प्रवेश के लिए महाविद्यालय के प्रवेश पंजिका में प्रविष्टि।

(ई) प्रदर्श पी-10- महाविद्यालय के प्रवेश पंजिका में प्रविष्टि।

5. प्रदर्श पी-23 से संबंधित विधिज्ञ परिषद् के अभिलेख।

6. विवाह पंजिका, प्रदर्श पी-29, जिसमें श्री जॉन के नाम के सामने "आयु" शीर्षक वाले स्तंभ में "26 वर्ष" की प्रविष्टि है, और उनके बपतिस्मा की तिथि 19-10-1946 है।

7. प्रदर्श पी.30, भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम 1872 के अंतर्गत अपेक्षित, उनमें संपन्न हुए विवाहों के संबंध में चर्चों से आवधिक प्रतिवेदन, जो यह दर्शाती है कि श्री जॉन का विवाह 6-4-1972 को फादर जी. के. स्वामी द्वारा सेंट फ्रांसिस जेवियर चर्च, मद्रास में संपन्न हुआ था, और इस विवाह की तिथि पर वे 26 वर्ष के थे।

8. प्रदर्श पी-11, पी-11 (ए), पी-12 और पी-12 (ए) टी.ई.एल.सी. काबिस उच्च विद्यालय के अभिलेख जो श्री जॉन की जन्म तिथि 14-6-1946 दर्शाते हैं।

9. प्रदर्श पी-28- पुस्तक-वरलाट्रिल कलैग्नार श्री जॉन द्वारा लिखित जिसमें जीवनी का रेखाचित्र है। उसमें, उनकी जन्म तिथि 14-10-1946 उल्लिखित है।

याचिकाकर्ता ने उन साक्षियों का भी परीक्षण किया था जिन्होंने इन दस्तावेजों और उनमें प्रकट होने वाले तथ्यों के संबंध में गवाही दी थी। विद्वान विचारण न्यायाधीश ने इस दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य पर सावधानीपूर्वक चर्चा और मूल्यांकन किया है। इस साक्ष्य का मूल्यांकन करने में विद्वान न्यायाधीश की ओर से कोई ठोस त्रुटि या अवैधता इंगित नहीं की गई है।

विद्वान न्यायाधीश ने पाया कि विवाह पंजिका में प्रविष्टियां, प्रदर्श पी.29, अत्यधिक साक्ष्यात्मक महत्व की हैं। श्री चौधरी इस निष्कर्ष पर आक्षेप करते हैं। उनके अनुसार, कोई भी विधिक प्रावधान या अभ्यास का नियम यह अपेक्षा नहीं करता है कि ऐसे पंजिका में बपतिस्मा की तिथि दर्ज की जानी चाहिए। दूसरा, यह तर्क दिया गया है कि उसमें दी गई बपतिस्मा की तिथि 19-10-46 है, जो रेव. फादर रोसारियो के साक्ष्य से गलत साबित होती है, जो चर्च के पादरी थे जिन्होंने 1943 में श्री जॉन को उनके जन्म के लगभग 7 दिन बाद बपतिस्मा दिया था। आगे यह तर्क दिया गया है कि श्री जॉन की जन्म तिथि का सर्वोत्तम साक्ष्य विधि के प्राधिकार के अंतर्गत बनाए गए सार्वजनिक जन्म पंजिका में प्रविष्टि का हो सकता था और निर्वाचन-याचिकाकर्ता ने जिस पर भार था, वह साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया।

हम इन तर्कों में कोई सार नहीं पाते हैं। गवाह के कठघरे में श्री जॉन (ब.सा. 1) और उनके बड़े भाई (ब.सा. 3) दोनों ने विवाह पंजिका में इस प्रविष्टि (प्रदर्श पी. 29) पर अपने संबंधित हस्ताक्षरों को स्वीकार किया। तथापि, उन्होंने यह तर्क दिया कि बपतिस्मा की तिथि के बारे में जानकारी उनके द्वारा विवाह संपन्न कराने वाले और यह प्रविष्टि करने वाले पादरी को प्रदान नहीं की गई थी। तथापि, बड़े भाई (ब.सा. 3) ने यह स्वीकार किया कि उन्होंने पंजिका पर हस्ताक्षर किए थे, इस तथ्य के बावजूद कि उसमें श्री जॉन की आयु 26 वर्ष उल्लिखित थी। तथापि, दोनों भाइयों ने स्वीकार किया कि श्री जॉन का विवाह 6-4-1972 को सेंट फ्रांसिस जेवियर चर्च में संपन्न हुआ था। ब.सा. 1 और 3 की स्वीकृतियों को देखते हुए, उच्च न्यायालय

यह मानने में सही था कि प्रदर्श पी.29 सिद्ध हो गया था, और उसमें दी गई प्रविष्टियां बहुत अधिक महत्व रखती थीं।

जहां तक 1946 के जन्म पंजिका का संबंध है, निर्वाचन-याचिकाकर्ता ने इसे तलब कराने और न्यायालय में प्रस्तुत करवाने के बार-बार प्रयास किए। न्यायालय द्वारा जारी आदेशिका इस प्रतिवेदन के साथ वापस कर दी गई थी कि 1946 का पंजिका खोजने योग्य नहीं था। तत्पश्चात, न्यायालय द्वारा इसे खोजने और प्रस्तुत करने का निर्देश जारी किया गया था। इस अभिलेख की खोज की गई लेकिन अभिलेख खोजने योग्य नहीं रहा। निर्वाचन-याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया कि श्री जॉन ने अपने प्रभाव का प्रयोग करके इस अभिलेख को प्रस्तुत होने से रोका था। उच्च न्यायालय ने इस आरोप को गलत पाया। फिर भी, उसने यह माना कि 1946 का सार्वजनिक जन्म पंजिका बहुत पहले ही खो गया था। ऐसा होने के कारण, 1946 के जन्म पंजिका का प्रस्तुत न होना एक तटस्थ परिस्थिति मानी जानी चाहिए।

श्री जॉन के बपतिस्मा की तिथि के संबंध में श्री चौधरी द्वारा इंगित विसंगति, हमें उनके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की ओर ले जाती है। श्री जॉन ने तीन दस्तावेज, आर 1, आर 2 और आर 4 अभिलेख पर प्रस्तुत किए। आर-1 ओवरी-तूतुकुड़ी सूबा द्वारा रखे गए बपतिस्मा पंजिका का एक उद्धरण है।

उच्च न्यायालय के अनुसार दस्तावेज आर-1 एक संदिग्ध तरीके से प्रस्तुत किया गया था, बिना इसके लिए कोई आवेदन दिए। यह चर्च के पादरी, पीटर रॉयन (ब.सा. 5) द्वारा जारी किया गया था, और यह बपतिस्मा पंजिका में एक प्रविष्टि की प्रति होने का तात्पर्य रखता है, जो ब.सा. 5 से प्राप्त स्वीकृति के अनुसार, स्वयं मूल से फिर से लिखा गया था और नक़ल किया गया था। चर्च के पादरी ने यह स्वीकार किया कि उन्होंने मूल को जला दिया था क्योंकि वह बहुत खराब स्थिति में था। उच्च न्यायालय ने पाया और हम सोचते हैं कि सही ढंग से -

कि मूल को प्रस्तुत न करने का यह स्पष्टीकरण पूरी तरह से असंतोषजनक था, और किसी भी ईसाई के लिए अशोभनीय था, विशेषकर चर्च के मामलों से जुड़े व्यक्ति के लिए, कि पंजिका को जलाने के इस 'अपवित्र कार्य' द्वारा जो कैनन *777*, कंडिका 676 का उल्लंघन था, गवाह (ब.सा. 5) ने "ईसाई धर्म का बड़ा अहित किया था और सत्य के उद्देश्य का उससे भी बड़ा अहित किया था"।

चूंकि आर-1 केवल एक प्रति की प्रति (आर 4) था, जिसकी तैयारी ही संदिग्ध थी और मूल के प्रस्तुत न होने का स्पष्टीकरण स्पष्ट रूप से अविश्वसनीय था, इसलिए इन दस्तावेजों को साक्ष्य से सही ढंग से बाहर कर दिया गया था।

ब.सा. 2, रेव. फादर रोसारियो ने कहा कि उन्हें निश्चित रूप से याद है कि वर्ष 1943 में जब वे चर्च के पादरी थे, तो उन्होंने श्री जॉन को बपतिस्मा दिया था। गवाह एक वृद्ध व्यक्ति था। उनके पास एक सदी के चौथाई से भी अधिक समय पहले हुई किसी घटना के संबंध में अपनी स्मृति को ताज़ा करने के लिए कोई बपतिस्मा पंजिका या कोई अन्य समकालीन अभिलेख नहीं था। वे केवल स्मृति से विवादक तथ्य पर गवाही दे रहे थे। मानव स्मृति के भूलने योग्य होने के कारण, *उनके बिना प्रमाण के कथन* को स्वीकार करना जोखिम भरा था। गवाह के मौखिक साक्ष्य को विवाह पंजिका में प्रविष्टि, प्रदर्श पी 29, पर तरजीह नहीं दी जा सकती थी, जो यह दर्शाती है कि अपनी विवाह की तिथि पर, जो 1972 में हुआ था, श्री जॉन 26 वर्ष के थे और 1946 में बपतिस्मा लिया था। यह सत्य है कि विवाह पंजिका में दर्ज उनके बपतिस्मा की तिथि और महाविद्यालय में विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए या अधिवक्ता के रूप में नामांकन के लिए प्रस्तुत किए गए विभिन्न आवेदनों में उनके द्वारा स्वीकृत उनकी जन्म तिथि के बीच थोड़ी विसंगति है। परंतु जन्म के वर्ष और साथ ही बपतिस्मा का वर्ष 1946 होने के संबंध में कोई विसंगति नहीं है। प्रदर्श पी. 29 में, उनके बपतिस्मा की तिथि 19-10-46 दर्ज है। पुस्तक प्रदर्श

पी.28 में प्रकट होने वाला जीवनी विवरण, जिसे प्रकाशक, ब.सा.- 4 के अनुसार, उनके द्वारा श्री जॉन से प्राप्त जानकारी के आधार पर दर्ज किया गया था, उनकी जन्म तिथि 14-10-1946 बताता है, जबकि सभी असंख्य सार्वजनिक अभिलेख, श्री जॉन की पूर्व स्वीकृतियों का गठन करने वाली घोषणाएं, जो निर्वाचन-याचिकाकर्ता द्वारा साक्ष्य में प्रस्तुत की गई हैं, लगातार श्री जॉन की जन्म तिथि 14-5-1946 दर्शाती हैं।

हमने श्री जॉन (ब.सा. 1) और उनके बड़े भाई (ब.सा. 3) द्वारा दिए गए मौखिक साक्ष्य का अवलोकन किया है। उनकी हितबद्ध गवाही पढ़ना रोचक है।

श्री जॉन से प्रति-परीक्षण में यह बताने के लिए कहा गया कि वे राज्य सभा का चुनाव कैसे लड़ने आए? उन्होंने उत्तर दिया कि, हमेशा की तरह, अपने गाँव ओवरी में, वे कटमरैन और मशीनीकृत नावों के मालिकों के बीच एक विवाद को सुलझाने के लिए अपने समुदाय के सदस्यों के साथ चर्चा कर रहे थे। उन्हें एक सुझाव दिया गया था कि उन्हें मछुआरा समुदाय के प्रतिनिधि के रूप में संसद के लिए एक निर्वाचन लड़ना चाहिए। श्री जॉन ने उनसे कहा कि ".. राज्यों की परिषद का निर्वाचन तेजी से आ रहा है और एकमात्र बात यह है कि मैं राज्य सभा में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने 30 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है।"

श्री जॉन से अधिवक्ता द्वारा आगे पूछताछ की गई:

"फिर क्या हुआ?"

उन्होंने उत्तर दिया:

> "मेरा सबसे बड़ा भाई वहाँ एकत्र लोगों में से एक था। उसने मुझे एक अन्य बुजुर्ग सज्जन के साथ, जिसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, बताया:

"तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुमने निश्चित रूप से 30 वर्ष पूरे कर लिए हैं।" इसके अतिरिक्त, उन्होंने मुझे बताया: 'हमें चर्च में रखे गए पंजिका का संदर्भ लेना होगा'"।

दिमाग में यह विचार आने के बाद, साक्षी अगली सुबह अपने भाई के साथ गाँव के चर्च गया और रेव. फादर पीटर (ब.सा. 5) से मिला और साक्षी से संबंधित बपतिस्मा पंजिका मांगा। रेव. फादर पीटर ने पंजिका, प्रदर्श आर- 4 निकाला, और पन्ने पलटे, और साक्षी को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसमें उसकी जन्म तिथि 14-5-1943 अंकित थी। तत्पश्चात, श्री जॉन ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मद्रास से संपर्क किया, और 26-2-1974 को एक आवेदन (प्रदर्श पी.23) किया जिसमें निर्वाचक नामावली में दर्ज अपनी जन्म तिथि को '14-5-1946' से '14-5-1943' में सुधारने और परिवर्तित करने का अनुरोध किया। उनका आवेदन स्वीकार कर लिया गया और आयु से संबंधित निर्वाचक नामावली में प्रविष्टि को 6 या 7 मार्च 1974 को तदनुसार संशोधित किया गया। आगे के प्रति-परीक्षण पर, श्री जॉन ने स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया कि फरवरी 1974 के दूसरे सप्ताह में बपतिस्मा पंजिका देखने से पहले, वे इस वास्तविक धारणा के अंतर्गत थे कि उनका जन्म 14-5-1946 को हुआ था। केवल पंजिका देखने पर ही उन्हें विश्वास हुआ कि उनका जन्म 1943 में हुआ था।

यह याद रखना चाहिए कि यह बपतिस्मा पंजिका (आर.4) वही है, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा संदिग्ध परिस्थितियों में तैयार किया गया एक संदिग्ध अभिलेख पाया गया था, जो पूरी तरह से अविश्वासनीय था।

ब.सा. 3, श्री जॉन के बड़े भाई ने भी कहा कि जब गाँव के बुजुर्गों ने उनसे चुनाव लड़ने के लिए कहा, तो उन्होंने उत्तर दिया कि उन्होंने उचित आयु प्राप्त नहीं की है, अर्थात् "31 वर्ष" जो चुनाव लड़ने के लिए आवश्यक थी। साक्षी ने तुरंत हस्तक्षेप किया: "तुम क्या बकवास कर

रहे हो? तुमने उचित आयु प्राप्त कर ली है, तुम्हें जाकर चर्च में देखना चाहिए"। उनके गाँव के चर्च में पादरी रेव. फादर पीटर रॉयन के पास जाने और बपतिस्मा पंजिका की जांच करने के बारे में उनका संस्करण कमोबेश ब.सा.- 1 के समान ही है। इस साक्षी ने, जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, स्वीकार किया कि अपने भाई, श्री जॉन के विवाह के समय, उसने भी 6-4-1972 को विवाह पंजिका में प्रविष्टि, प्रदर्श पी-29 पर हस्ताक्षर किए थे। उसने आगे यह स्वीकार किया कि इस प्रविष्टि प्रदर्श पी. 29 में, दूल्हे, श्री जॉन की आयु 26 वर्ष उल्लिखित थी। उसने आगे यह स्वीकार किया कि प्रदर्श पी. 29 में, श्री जॉन के बपतिस्मा की तिथि 19-10-1946 अंकित है। परंतु साक्षी, न्यायालय से यह विश्वास करवाना चाहता था कि उसने इस प्रविष्टि को देखे बिना ही इस पर हस्ताक्षर कर दिए थे। यह संस्करण बिना किसी आपत्ति के स्वीकार करने के लिए बहुत अविश्वसनीय था। यह निष्कर्ष अपरिहार्य था कि 6-4-1972 को, श्री जे. डी. मोहन, ब.सा.- 3, श्री जॉन के सबसे बड़े भाई, जिनके माता-पिता मृत थे, जानते थे कि इस प्रविष्टि का विवरण जो 6-4-1972 को उनकी आयु 26 वर्ष होने और 1946 में उनके बपतिस्मा की तिथि को दर्शाता था, सत्य था। यही कारण है कि उन्होंने और उनके भाई जॉन ने, बिना कोई आपत्ति उठाए, इसकी सत्यता के प्रतीक के रूप में इस पर अपने हस्ताक्षर किए।

हमें श्री जॉन की आयु के प्रश्न पर आगे विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। उच्च न्यायालय द्वारा इस मुद्दे के सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई है। पर्याप्त रूप से यह कहना उचित होगा कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह स्पष्ट रूप से स्थापित हो गया था कि नामांकनों की संवीक्षा की तिथि पर, श्री जॉन 30 वर्ष से कम आयु के थे और संविधान के अनुच्छेद 84(बी) को देखते हुए वे राज्य सभा के लिए चुनाव लड़ने के लिए सक्षम नहीं थे। इसलिए उनका नामांकन निर्वाचन अधिकारी द्वारा अनुचित रूप से स्वीकार किया गया था, और

इस अनुचित स्वीकृति ने, जहाँ तक निर्वाचित उम्मीदवार, श्री जॉन का संबंध है, चुनाव के परिणाम को भौतिक रूप से प्रभावित किया है।

इस प्रकार उच्च न्यायालय द्वारा श्री जॉन का निर्वाचन सही ढंग से अपास्त कर दिया गया था।

अब हम दूसरे प्रश्न पर आते हैं, क्या 1974 की दीवानी अपील 1907 में अपीलकर्ता, श्री वी. सुब्रह्मण्यम, श्री जॉन के स्थान पर निर्वाचित घोषित किए जाने के हकदार हैं जिनका निर्वाचन अपास्त कर दिया गया है?

इस अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, श्री रामास्वामी ने वैकल्पिक तर्क प्रस्तुत किए हैं। यह प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि श्री मोहनरंगम ने कोई भी मत प्राप्त नहीं किया, इसलिए वे एक बने रहने वाले उम्मीदवार नहीं रहे और स्वतः ही बाहर हो गए, जिससे मैदान में केवल एकमात्र बने रहने वाले उम्मीदवार, श्री सुब्रह्मण्यम रह गए। इस बात पर बल दिया गया है कि श्री रंगम ने कोई प्रति-आरोप याचिका दायर नहीं की है। इस स्थिति में, यह कायम रखा गया है कि, श्री सुब्रह्मण्यम को निर्वाचित माना जाएगा, यद्यपि उन्होंने केवल 300 मत प्राप्त किए थे। इस संबंध में निर्वाचन संचालन नियम, 1961 के नियम 81(2) का संदर्भ दिया गया है।

श्री रामास्वामी का वैकल्पिक तर्क यह है कि चूंकि श्री जॉन एक योग्य उम्मीदवार नहीं थे, इसलिए उनके पक्ष में डाले गए मतों को व्यर्थ माना जाना चाहिए, और भले ही श्री मोहनरंगम और श्री सुब्रह्मण्यम दोनों को बने रहने वाले उम्मीदवार मान लिया जाए, पांच सफल उम्मीदवारों के पक्ष में डाले गए अधिशेष मतों को इन बने रहने वाले उम्मीदवारों के पक्ष में हस्तांतरित और पुनर्वितरित किया जाना था। यह आग्रह किया गया है कि इस उद्देश्य के लिए न्यायालय को आगे की गिनती के लिए मतपत्र मंगवाने चाहिए और उनकी संवीक्षा करनी चाहिए। श्री रामास्वामी ने आगे इंगित किया कि *विश्वनाथ रेड्डी बनाम कोनप्पा रुद्रप्पा नदगंडा*

([1]) में इस न्यायालय के अवलोकन, इस आशय के कि अयोग्य उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए मतों को व्यर्थ माना जाना चाहिए, राज्यों की परिषद में रिक्त सीटों को भरने के लिए निर्वाचनों पर समान रूप से लागू होते हैं, इस तथ्य के बावजूद कि ये निर्वाचन एकल हस्तांतरणीय मत के साथ आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुसार आयोजित किए जाते हैं जिसके अंतर्गत वैध मतों का बहुमत प्राप्त करने का कोई प्रश्न नहीं होता है, बल्कि केवल अपेक्षित कोटा प्राप्त करने का होता है।

अपने तर्कों के समर्थन में श्री रामास्वामी ने 1946 में प्रकाशित के. वी. कृष्णास्वामी अय्यर के ग्रंथ, द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और निर्वाचन संचालन नियम, 1961 (संक्षेप में, निर्वाचन नियम के रूप में संदर्भित) के प्रासंगिक प्रावधानों का प्रचुर मात्रा में संदर्भ दिया है।

हमारे उद्देश्य के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान निर्वाचन नियमों के भाग VII में समाहित हैं। श्री के. वी. कृष्णास्वामी अय्यर अपनी पुस्तक, द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट (1946 संस्करण) पृष्ठ 23 में, निर्वाचन के इस तरीके के सामान्य सिद्धांतों को इस प्रकार संक्षेप में बताते हैं:

> "एकल मत एक नामांकित व्यक्ति से दूसरे में *हस्तांतरणीय* होता है और यह दो आकस्मिकताओं में होता है जहां अन्यथा मतों की बर्बादी होती है।
>
> वे हैं:
>
> (1) जब कोई उम्मीदवार अपनी सफलता के लिए आवश्यक मतों से अधिक प्राप्त करता है और इसलिए उसके पास अनावश्यक अधिशेष होता है;
>
> (2) जब कोई उम्मीदवार इतने कम मत प्राप्त करता है कि उसके पास बिल्कुल कोई अवसर नहीं होता है और इसलिए उसे नामांकित करने वाले मतों के बर्बाद होने की संभावना होती है।"

---

1 ए.आई.आर. 1969 एस.सी. 604

निर्वाचन नियमों के भाग VII में प्रासंगिक नियमों को उपरोक्त पुस्तक में श्री अय्यर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों पर तैयार किया गया है। महत्वपूर्ण प्रावधान नियम 2(1)(सी), 67, 70, 71, 73 ए से 81 और 85 में समाहित हैं।

इन निर्वाचन नियमों द्वारा परिकल्पित योजना और प्रणाली के अंतर्गत, प्रत्येक निर्वाचक के पास केवल एक मत होता है, चाहे भरी जाने वाली सीटों की संख्या कुछ भी हो। परंतु वह एकल मत एक उम्मीदवार से दूसरे में हस्तांतरणीय होता है। मतपत्र पर उम्मीदवारों के नाम होते हैं, और निर्वाचक अपने द्वारा चुने गए नामों के सामने 1, 2, 3, 4 और इसी तरह के आंकड़ों के साथ इसे निरूपित करके उम्मीदवारों के लिए अपनी वरीयताओं को चिन्हित करता है और इस निरूपण को इंगित क्रम में वैकल्पिक समझा जाता है (देखें अय्यर की द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट)। निर्वाचक द्वारा किसी उम्मीदवार के नाम के सामने निर्धारित आंकड़ा 1 का अर्थ है "पहली वरीयता"; किसी उम्मीदवार के नाम के सामने निर्धारित आंकड़ा 2 का अर्थ है, "दूसरी वरीयता", और इसी तरह [नियम 71 (ii)]। निर्वाचन में किसी उम्मीदवार की वापसी सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक वैध मतों की न्यूनतम संख्या कोटा कहलाती है। ऐसे निर्वाचन में जहां केवल एक सीट भरी जानी है, प्रत्येक मतपत्र को प्रत्येक गिनती पर 1 के मूल्य का माना जाता है, और कोटा सभी उम्मीदवारों के श्रेय वाले मूल्यों को जोड़कर, और कुल को 2 से विभाजित करके, और भागफल में 1 जोड़कर, शेषफल को अनदेखा करते हुए, यदि कोई हो, निर्धारित किया जाता है और परिणामी संख्या कोटा होती है, देखें, नियम 75 (1)। ऐसे निर्वाचन में जहां एक से अधिक सीटें भरी जानी हैं, प्रत्येक मतपत्र को 100 के मूल्य का माना जाता है और कोटा सभी उम्मीदवारों के श्रेय वाले मूल्यों को जोड़कर, और कुल को एक ऐसी संख्या से विभाजित करके जो भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या से 1 अधिक है, और भागफल में 1

जोड़कर, शेषफल को अनदेखा करते हुए, यदि कोई हो, निर्धारित किया जाता है और परिणामी संख्या कोटा होती है (नियम 76)।

प्रारंभिक प्रक्रिया में गणना निम्नानुसार है:

निर्वाचन अधिकारी पहले डाक मतपत्रों वाले लिफाफों से निपटता है, और फिर मतपेटियों को खोलता है, मतपत्रों की गिनती करता है और अवैध पाए गए मतपत्रों को छांटता है और अस्वीकृत करता है। एक मतपत्र को अवैध माना जाता है जिस पर -

(ए) आंकड़ा 1 अंकित नहीं है; या

(बी) आंकड़ा 1 एक से अधिक उम्मीदवार के नाम के सामने निर्धारित है या इस तरह से रखा गया है जिससे यह संदेह पैदा होता है कि यह किस उम्मीदवार पर लागू होने का आशय है; या

(सी) आंकड़ा 1 और कुछ अन्य आंकड़े एक ही उम्मीदवार के नाम के सामने निर्धारित हैं; या

(डी) कोई चिह्न या लेख है जिससे निर्वाचक की पहचान की जा सकती है (नियम 73)।

अवैध मतपत्रों को अस्वीकृत करने के बाद, निर्वाचन अधिकारी (ए) प्रत्येक उम्मीदवार के लिए दर्ज की गई पहली वरीयता के अनुसार शेष मतपत्रों को *पार्सल* में व्यवस्थित करता है; (बी) प्रत्येक पार्सल में मतपत्रों की संख्या और कुल संख्या गिनता है और दर्ज करता है; और (सी) प्रत्येक उम्मीदवार के पार्सल में मतपत्रों के मूल्य का श्रेय उसे देता है। वह फिर नियम 75 (1), या नियम 76 के अनुसार कोटा निर्धारित करता है, यदि निर्वाचन एक सीट या एक से अधिक सीट भरने के लिए है, जैसा भी मामला हो।

यदि (एक से अधिक सीट भरने के लिए आयोजित किसी भी निर्वाचन में) किसी भी गिनती के अंत में या किसी बाहर किए गए उम्मीदवार के पार्सल या उप-पार्सल के हस्तांतरण के अंत में किसी उम्मीदवार को श्रेय दिए गए मतपत्रों का मूल्य कोटे के बराबर या उससे अधिक है, तो उस उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया जाएगा (नियम 78)। यदि किसी गिनती के अंत में किसी उम्मीदवार को श्रेय दिए गए मतपत्रों का मूल्य कोटे से अधिक है, तो अधिशेष को नियम 79 के प्रावधानों के अनुसार, उस उम्मीदवार के मतपत्रों में निर्वाचकों की वरीयता के अगले क्रम के रूप में इंगित बने रहने वाले उम्मीदवारों को हस्तांतरित किया जाता है [नियम 79 का उप-नियम (1)] "अधिशेष" का अर्थ है वह संख्या जिसके द्वारा किसी उम्मीदवार के मूल और हस्तांतरित मतों का मूल्य कोटे से अधिक होता है [नियम 71 का उप-नियम (6)]। "बने रहने वाले उम्मीदवार" का अर्थ है कोई भी उम्मीदवार जो निर्वाचित नहीं हुआ है और किसी भी समय मतदान से बाहर नहीं किया गया है [नियम 71 का उप-नियम (1)]। यदि एक से अधिक उम्मीदवार के पास अधिशेष है, तो सबसे बड़े अधिशेष से पहले निपटा जाएगा और अन्य से उनके परिमाण के क्रम में, परंतु पहली गिनती पर उत्पन्न होने वाले प्रत्येक अधिशेष से दूसरी गिनती पर उत्पन्न होने वाले अधिशेषों से पहले निपटा जाएगा और इसी तरह। जहां वितरित करने के लिए एक से अधिक अधिशेष हैं और दो या दो से अधिक अधिशेष बराबर हैं, वहां प्रत्येक उम्मीदवार के मूल मतों पर ध्यान दिया जाएगा और जिस उम्मीदवार के लिए सबसे अधिक मूल मत दर्ज किए गए हैं, उसका अधिशेष पहले वितरित किया जाएगा; और यदि उनके मूल मतों का मूल्य बराबर है, तो निर्वाचन अधिकारी लॉटरी द्वारा यह तय करता है कि किस उम्मीदवार का अधिशेष पहले वितरित किया जाएगा। [नियम 78 के उप-नियम (2) और (3)]। "मूल मत", किसी भी उम्मीदवार के संबंध में, ऐसे मतपत्र से प्राप्त मत है जिस पर ऐसे उम्मीदवार के लिए पहली वरीयता दर्ज की गई है।

यदि हस्तांतरित किए जाने वाले किसी उम्मीदवार का अधिशेष केवल मूल मतों से उत्पन्न होता है, तो निर्वाचन अधिकारी उस उम्मीदवार के पार्सल के सभी मतपत्रों की जांच करेगा, अहस्तगत मतपत्रों को उन पर दर्ज अगली वरीयताओं के अनुसार उप-पार्सल में विभाजित करेगा और हस्तगत मतपत्रों का एक अलग उप-पार्सल बनाएगा [नियम 78 के उप-नियम (4) का खंड (ए)]। "हस्तगत मतपत्र" का अर्थ है एक ऐसा मतपत्र जिस पर बने रहने वाले उम्मीदवार के लिए कोई और वरीयता दर्ज नहीं है, बशर्ते कि एक मतपत्र को तब हस्तगत हो गया माना जाएगा जब- (ए) दो या दो से अधिक उम्मीदवारों के नाम, चाहे बने हुए हों या नहीं, एक ही आंकड़े के साथ चिन्हित किए गए हों और वरीयता के क्रम में अगले हों; या (बी) वरीयता के क्रम में अगले उम्मीदवार का नाम, चाहे बना हुआ हो या नहीं, एक ऐसे आंकड़े द्वारा चिन्हित किया गया हो जो मतपत्र पर किसी अन्य आंकड़े के बाद लगातार नहीं आता है या दो या दो से अधिक आंकड़ों द्वारा [नियम 71 का उप-नियम (3)]। निर्वाचन अधिकारी को प्रत्येक उप-पार्सल में मतपत्रों के मूल्य और सभी अहस्तगत मतपत्रों का मूल्य सुनिश्चित करना होता है। यदि अहस्तगत मतपत्रों का मूल्य अधिशेष के बराबर या उससे कम है, तो वह सभी अहस्तगत मतपत्रों को उसी मूल्य पर हस्तांतरित करेगा जिस पर वे उस उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किए गए थे जिसका अधिशेष हस्तांतरित किया जा रहा है। यदि अहस्तगत मतपत्रों का मूल्य अधिशेष से अधिक है, तो वह अहस्तगत मतपत्रों के उप-पार्सल को हस्तांतरित करेगा और वह मूल्य जिस पर प्रत्येक मतपत्र को हस्तांतरित किया जाएगा, कुल अहस्तगत मतपत्रों की संख्या से अधिशेष को विभाजित करके सुनिश्चित किया जाएगा [नियम 78 का उप-नियम (4)]। उप-नियम (5) उस प्रक्रिया को इंगित करता है जहां हस्तांतरित किए जाने वाले किसी उम्मीदवार का अधिशेष हस्तांतरित मतों के साथ-साथ मूल मतों से उत्पन्न होता है। किसी निर्वाचित उम्मीदवार के

पार्सल या उप-पार्सल में जो मतपत्र उसके नियम के अंतर्गत हस्तांतरित नहीं किए गए हैं उन्हें अंतिम रूप से निपटाए गए के रूप में अलग रखा जाना है [नियम 78 का उप-नियम (7)]।

नियम 80 मतदान पर सबसे नीचे वाले उम्मीदवारों को बाहर करने की बात करता है। यह इस प्रकार है:

> "80. मतदान पर सबसे नीचे वाले उम्मीदवारों को बाहर करना। (1) यदि पहले प्रदान किए गए अनुसार सभी अधिशेष हस्तांतरित कर दिए जाने के बाद, निर्वाचित उम्मीदवारों की संख्या आवश्यक संख्या से कम है, तो निर्वाचन अधिकारी मतदान से उस उम्मीदवार को बाहर कर देगा जो मतदान पर सबसे नीचे है और उसके अहस्तगत मतपत्रों को बने रहने वाले उम्मीदवारों के बीच उन पर दर्ज अगली वरीयताओं के अनुसार वितरित करेगा; और किसी भी हस्तगत मतपत्रों को अंतिम रूप से निपटाए गए के रूप में अलग रखा जाएगा।
>
> (2) बाहर किए गए उम्मीदवार के मूल मतों वाले मतपत्र पहले हस्तांतरित किए जाएंगे, प्रत्येक मतपत्र का हस्तांतरण मूल्य एक सौ होगा।
>
> (3) बाहर किए गए उम्मीदवार के हस्तांतरित मतों वाले मतपत्र फिर उस हस्तांतरण के क्रम में हस्तांतरित किए जाएंगे जिसमें, और उस मूल्य पर जिस पर, उसने उन्हें प्राप्त किया था।
>
> (4) ऐसे प्रत्येक हस्तांतरण को एक अलग हस्तांतरण माना जाएगा न कि एक अलग गिनती।
>
> (5) यदि, मतपत्रों के हस्तांतरण के परिणामस्वरूप, किसी उम्मीदवार द्वारा प्राप्त मतों का मूल्य कोटे के बराबर या उससे अधिक हो जाता है, तो उस

समय चल रही गिनती पूरी हो जाएगी परंतु उसे कोई और मतपत्र हस्तांतरित नहीं किए जाएंगे।

(6) इस नियम द्वारा निर्देशित प्रक्रिया मतदान पर सबसे नीचे वाले उम्मीदवारों के एक के बाद एक क्रमिक रूप से बाहर होने पर तब तक दोहराई जाएगी जब तक कि ऐसी रिक्ति कोटे के साथ उम्मीदवार के निर्वाचन द्वारा या इसके बाद प्रदान किए गए अनुसार भर नहीं जाती।

(7) यदि किसी भी समय किसी उम्मीदवार को बाहर करना आवश्यक हो जाता है और दो या दो से अधिक उम्मीदवारों के मतों का मूल्य समान है और मतदान पर सबसे नीचे हैं, तो प्रत्येक उम्मीदवार के मूल मतों पर ध्यान दिया जाएगा और जिस उम्मीदवार के लिए सबसे कम मूल मत दर्ज किए गए हैं उसे बाहर कर दिया जाएगा; और यदि उनके मूल मतों का मूल्य बराबर है तो उस उम्मीदवार को बाहर किया जाएगा जिसका मूल्य सबसे शुरुआती गिनती पर सबसे कम था जिस पर इन उम्मीदवारों के मूल्य असमान थे।

(8) यदि दो या दो से अधिक उम्मीदवार मतदान पर सबसे नीचे हैं और सभी गिनतियों पर प्रत्येक के मतों का मूल्य समान है, तो निर्वाचन अधिकारी लॉटरी द्वारा यह तय करेगा कि किस उम्मीदवार को बाहर किया जाएगा।"

नियम 81 अंतिम रिक्तियों को भरने से संबंधित है। इसे पूर्ण रूप से उद्धृत भी किया जा सकता है क्योंकि इस पर एक अच्छा खासा तर्क आधारित है। यह प्रदान करता है:

"81. अंतिम रिक्तियों को भरना .- (1) जब किसी भी गिनती के अंत में बने रहने वाले उम्मीदवारों की संख्या खाली बची रिक्तियों की संख्या तक कम हो जाती है, तो बने रहने वाले उम्मीदवारों को निर्वाचित घोषित किया जाएगा।

(2) जब किसी भी गिनती के अंत में केवल एक रिक्ति खाली बचती है और किसी एक उम्मीदवार के मतपत्रों का मूल्य अन्य सभी बने रहने वाले उम्मीदवारों के मतपत्रों के कुल मूल्य के साथ हस्तांतरित न किए गए किसी भी अधिशेष से अधिक हो जाता है, तो उस उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया जाएगा।

(3) जब किसी भी गिनती के अंत में केवल एक रिक्ति खाली बचती है और केवल दो बने रहने वाले उम्मीदवार होते हैं और उनमें से प्रत्येक के मतों का मूल्य समान होता है और हस्तांतरण करने योग्य कोई अधिशेष नहीं बचता है, तो निर्वाचन अधिकारी लॉटरी द्वारा यह तय करेगा कि उनमें से किसे बाहर किया जाएगा; और उसे उपर्युक्त तरीके से बाहर करने के बाद, दूसरे उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित करेगा।"

अब हमारे समक्ष रखे गए तर्कों से निपटने के लिए मंच तैयार है। पहला प्रश्न जिस पर विचार किया जाना है वह यह है: क्या श्री मोहनरंगम को, पहली गिनती में कोई मत प्राप्त करने में विफलता के कारण मतदान से बाहर किया गया माना जाएगा? दूसरे शब्दों में, क्या वे निर्वाचन नियमों के विचारण के अंतर्गत एक 'बने रहने वाले उम्मीदवार' नहीं रहे थे?

हम नियम 71 (1) में 'बने रहने वाले उम्मीदवार' की परिभाषा का संदर्भ पहले ही दे चुके हैं। परिभाषा में दो तत्व हैं जिन्हें संतुष्ट होना आवश्यक है इससे पहले कि किसी उम्मीदवार को बने रहने वाला उम्मीदवार कहा जा सके। उसे एक "निर्वाचित न होने वाला उम्मीदवार" होना चाहिए और इसके अतिरिक्त, उसे किसी भी समय मतदान से बाहर नहीं किया गया होना चाहिए। श्री मोहनरंगम इन दोनों शर्तों को पूरा करते हैं।

तथापि श्री रामास्वामी ने यह तर्क दिया कि इस परिभाषा की व्याख्या और अनुप्रयोग नियम 74 और 81 में जो कहा गया है उसके आलोक में किया जाना चाहिए। यह तर्क है कि किसी उम्मीदवार के बने रहने के लिए एक आवश्यक पूर्वशर्त नियम 74 के अंतर्गत एक "टोकरी" या "पार्सल" का आवंटन है, और केवल वही उम्मीदवार 'टोकरी' के आवंटन का हकदार है जो गिनती के अंत में, अपने खाते में कुछ मत प्राप्त करता है और अपना खाता खोलता है। चूंकि श्री रंगम-तर्क आगे बढ़ता है-को कोई मत प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए वे स्वतः ही बाहर हो गए और उन्हें कोई "पार्सल" आवंटित करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठा।

तर्क को अस्वीकार किया जाना चाहिए।

नियम 74 या किसी अन्य नियम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो, एक से अधिक सीटों को भरने के लिए आयोजित निर्वाचन में, निर्वाचन अधिकारी से यह अपेक्षा करता हो या उसे यह शक्ति देता हो कि वह किसी उम्मीदवार को मतदान से केवल इस आधार पर बाहर कर दे कि पहली वरीयताओं की गिनती में, उसे कोई वैध मत प्राप्त नहीं हुआ है। नियम 75 के उप-नियम (3) का, जिसका एक स्तर पर संदर्भ दिया गया था, वर्तमान मामले में कोई अनुप्रयोग नहीं है। वह उप-नियम -- जो निर्वाचन अधिकारी से मतदान से उस उम्मीदवार को बाहर करने की अपेक्षा करता है जिसका गणना सबसे कम है - मतों की गिनती को नियंत्रित करता है जहां केवल एक सीट भरी जानी हो और किसी भी गिनती के अंत में, किसी भी उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित नहीं किया जा सकता। हमारे समक्ष ऐसा मामला नहीं है। नियम 80 का भी कोई अनुप्रयोग नहीं हो सकता क्योंकि यह उस चरण में प्रवृत्त होता है "जब सभी अधिशेष हस्तांतरित कर दिए गए हों"। वर्तमान मामले में वह चरण कभी नहीं आया क्योंकि पहली गिनती में ही, सभी छह सीटें भर गई थीं, छह उम्मीदवारों (श्री जॉन सहित) ने पहली वरीयता

वाले मतों का अपेक्षित कोटा प्राप्त कर लिया था। और न ही नियम 81 को लागू करने का चरण आया, क्योंकि पहली गिनती के अंत में, कोई भी रिक्ति खाली नहीं बची।

इसलिए हम, विद्वान अधिवक्ता के तर्क को अस्वीकार करते हैं और यह मानते हैं कि श्री मोहनरंगम स्वतः ही बाहर नहीं हुए। वे और श्री सुब्रह्मण्यम दोनों 'बने रहने वाले उम्मीदवार' थे। श्री सुब्रह्मण्यम को निर्वाचित घोषित नहीं किया जा सकता था क्योंकि उन्होंने 3,201 मतों का अपेक्षित कोटा प्राप्त नहीं किया था।

यह हमें अगले प्रश्न पर ले जाता है। क्या उस उम्मीदवार (श्री जॉन) के पक्ष में डाले गए सभी मतों को, जिसे न्यायालय द्वारा निर्वाचन के लिए वैधानिक रूप से अयोग्य पाया गया है, व्यर्थ माना जाना चाहिए, और परिणामस्वरूप, अपीलकर्ता, श्री सुब्रह्मण्यम को, जिन्होंने श्री मोहनरंगम द्वारा प्राप्त शून्य मतों के विरुद्ध 300 मत प्राप्त किए, निर्वाचित घोषित किया जाना चाहिए?

फिर से, हमारी राय में, इस प्रश्न का उत्तर नकारात्मक होना चाहिए। यह किसी का भी मामला नहीं है कि श्री जॉन को मत देने वाले निर्वाचकों को, निर्वाचन के समय, इस उम्मीदवार की वैधानिक अयोग्यता का ज्ञान था या उन्हें इसकी सूचना थी। इसके विपरीत, वे इस धारणा के अंतर्गत रहे होंगे कि श्री जॉन एक ऐसे उम्मीदवार थे जिनका नामांकन निर्वाचन अधिकारी द्वारा वैध रूप से स्वीकार किया गया था। यदि निर्वाचकों को श्री जॉन की अयोग्यता की सूचना होती, तो उनमें से कितने उनके लिए मत देते और कितने सर्वश्री सुब्रह्मण्यम और मोहनरंगम सहित अन्य बने रहने वाले उम्मीदवारों के लिए मत देते, और किस वरीयता क्रम में, यह अनुमान और अप्रत्याशितता के क्षेत्र का एक प्रश्न बना रहता है। हमने जो दृष्टिकोण अपनाया है, उसकी पुष्टि इस न्यायालय के *आर. एम. शेषाद्रि बनाम जी. वी. पई* ([2]) के निर्णय में दिए गए अवलोकनों से होती है। उस मामले में, मद्रास विधान परिषद के लिए आर. एम. शेषाद्रि का निर्वाचन इस

2 ए.आई.आर. 1969 एस.सी. 692, पृष्ठ 701 पर

आधार पर अपास्त कर दिया गया था कि वे मतदाताओं को ले जाने के लिए मोटर वाहनों को किराए पर लेने या खरीदने के भ्रष्ट आचरण के दोषी थे। कुल डाले गए मत 12,153 थे। चूंकि मतदान एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा हुआ था, पांच में से तीन उम्मीदवारों को विभिन्न गिनतियों पर बाहर कर दिया गया था जिसके परिणामस्वरूप उनके मत मतपत्र में नामित दूसरे उम्मीदवार को हस्तांतरित कर दिए गए थे। अंतिम गिनती पर शेषाद्रि ने 5643 मत प्राप्त किए और उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी, जी. वी. पई ने 5388 मत प्राप्त किए। उन मतदाताओं की संख्या सुनिश्चित नहीं की जा सकी जिन्हें किराए के या खरीदे गए वाहनों में लाया गया था।

इस न्यायालय के समक्ष, यह तर्क दिया गया था कि शेषाद्रि का निर्वाचन अपास्त होने पर, जी. वी. पई को, जिन्होंने दूसरा सबसे अधिक मत प्राप्त किया था, निर्वाचित घोषित किया जाना चाहिए। न्यायालय की ओर से बोलते हुए मुख्य न्यायाधीश, हिदायतुल्ला ने इन अवलोकनों के साथ इस तर्क को अस्वीकार कर दिया:

> "यह (प्रश्न) हमारे इस निष्कर्ष पर पहुंचने पर निर्भर करेगा कि यदि इस भ्रष्ट आचरण के माध्यम से मतदाताओं को मतदान केंद्रों पर नहीं लाया गया होता, तो निर्वाचन का परिणाम भौतिक रूप से प्रभावित हुआ होता। एकल हस्तांतरणीय मत में, यह कहना बहुत कठिन है कि मतदान कैसे होता, क्योंकि यदि शेषाद्रि को मिले सभी मत किसी अन्य उम्मीदवार को मिल गए होते जो पहले की गिनतियों में बाहर हो गए थे, तो वे उम्मीदवार जीत गए होते। हम फिर से गिनती का आदेश नहीं दे सकते क्योंकि वे मतदाता संलिप्तता से मुक्त नहीं थे। "यह निर्णय लेना अनुमान लगाना होगा कि कितने मतदाताओं को कार में मतदान केंद्रों पर लाया गया था। हम सोचते हैं कि हम वसंत पई को निर्वाचित घोषित करने की स्थिति में नहीं हैं, क्योंकि यह केवल मतदान की

> प्रकृति के बारे में एक अनुमान या अटकलबाजी होगी जो तब हुई होती यदि यह भ्रष्ट आचरण नहीं किया गया होता।"

वर्तमान मामले में स्थिति कोई बेहतर नहीं है। यह अनुमान लगाना अत्यंत कठिन है, यदि असंभव नहीं, कि मतदान का स्वरूप क्या होता यदि निर्वाचकों को निर्वाचन के समय पता होता कि श्री जॉन चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं थे। किसी भी स्थिति में, श्री सुब्रह्मण्यम न तो एकमात्र बने रहने वाले उम्मीदवार थे, और न ही उन्होंने मतों का अपेक्षित कोटा प्राप्त किया था। इसलिए उन्हें निर्वाचित घोषित नहीं किया जा सकता है।

विश्वनाथ बनाम कोनप्पा (उपरोक्त) में इस न्यायालय का विनिश्चय-आधार अपीलकर्ता, श्री सुब्रह्मण्यम के मामले को आगे नहीं बढ़ाता है। उस मामले में, प्रश्नगत निर्वाचन एकल हस्तांतरणीय मत की प्रणाली के अनुसार आयोजित नहीं किया गया था। *एक सीट के लिए* मैदान में *केवल दो* उम्मीदवार थे, *और उनमें से एक वैधानिक अयोग्यता के अधीन था,* न्यायालय की ओर से बोलते हुए न्यायमूर्ति शाह (जैसा कि वे तब थे) ने माना कि अयोग्य उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए मतों को व्यर्थ माना जा सकता है, भले ही उसके लिए मत देने वाले मतदाता अयोग्यता से अनभिज्ञ थे, और अगले सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया गया था। तथापि विद्वान न्यायाधीश ने यह जोड़ने में सावधानी बरती:

> "इसका अर्थ यह नहीं है कि जहां एक सीट के लिए मैदान में दो से अधिक उम्मीदवार हों, और अकेला एक ही अयोग्य हो, वहां अयोग्यता सिद्ध होने पर उसके पक्ष में डाले गए सभी मत खारिज कर दिए जाएंगे और अगले सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा। ऐसे मामले में, मतदाताओं को सूचना देने का प्रश्न महत्व ले सकता है, क्योंकि

मतदाताओं ने, यदि उन्हें अयोग्यता का पता होता, तो अयोग्य उम्मीदवार के लिए मत नहीं दिया होता।"

विश्वनाथ बनाम कोनप्पा का विनिश्चय-आधार केवल वहीं लागू होता है जहां (ए) दो प्रतियोगी उम्मीदवार हों और उनमें से एक अयोग्य हो, (बी) और निर्वाचन एकल *अहस्तांतरणीय* मत के आधार पर हो। ये दोनों शर्तें वर्तमान मामले में मौजूद नहीं हैं। जैसा कि पहले ही चर्चा की जा चुकी है, श्री सुब्रह्मण्यम अपीलकर्ता, अयोग्य उम्मीदवार श्री जॉन के बाहर होने के बाद, मैदान में बचे एकमात्र जीवित बने रहने वाले उम्मीदवार नहीं थे। प्रश्नगत निर्वाचन एकल हस्तांतरणीय मत के तरीके से आयोजित नहीं किया गया था जिसके अनुसार सुरक्षित मतों का साधारण बहुमत किसी उम्मीदवार की सफलता सुनिश्चित करता है, बल्कि एकल हस्तांतरणीय मत के साथ आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा आयोजित किया गया था, जिस प्रणाली के अंतर्गत किसी उम्मीदवार की सफलता *सामान्यतः* उसके अपेक्षित कोटा प्राप्त करने पर निर्भर करती है।

तथापि, *विश्वनाथ बनाम कोनप्पा* में आकस्मिक उक्ति में अंतर्निहित सिद्धांत, जिसे हमने उद्धृत किया है, वर्तमान मामले में लागू होता है क्योंकि यहाँ, अयोग्य उम्मीदवार को बाहर करने के बाद, दो बने रहने वाले उम्मीदवार मैदान में बचे थे।

उपरोक्त सभी कारणों से, अपीलें विफल होती हैं और उन्हें खारिज किया जाता है। मामले की विशिष्ट परिस्थितियों में पक्षकार अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे।

एस.आर. अपीलें खारिज की जाती है।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।